

 <p>सत्यमेव जयते</p>	राजस्थान राज-पत्र	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b>
	विशेषांक	<b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	आश्विन 19, बुधवार, शाके 1928-अक्टूबर 11, 2006 <i>Asvina 19, Wednesday, Saka 1928-October 11, 2006</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(Group-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, October 11, 2006**

No. F. 2(33)Vidhi/2/2006.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 10<sup>th</sup> day of October, 2006 and hereby published for general information :—

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY  
MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION)  
(AMENDMENT) ACT, 2006  
(Act No. 14 of 2006)**

(Received the assent of the Governor on the 10<sup>th</sup> day of October, 2006)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the

Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 7 of 1957.**—For the existing clause (c) of section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956 (Act No. 7 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely:—

“(c) the office of a chairman or a vice-chairman or the member of a committee set up for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an enquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter or for planning, coordinating or implementing any programme of the Government or any other authority;”.

**3. Special provisions as to validation and other matters.**—(1) Notwithstanding any judgment or order of any court or tribunal or any order or opinion of any other authority, the offices mentioned in clause (c) of section 3 of the principal Act shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अक्टूबर 11, 2006 21(3)  
the Rajasthan Legislative Assembly as if the principal Act as  
amended by this Act had been in force at all material times.

(2) For the removal of doubts, it is hereby clarified that any  
petition or reference pending before any court or other authority on  
the date of commencement of this Act, shall be disposed of in  
accordance with the provisions of the principal Act, as amended by  
this Act.

गुमान सिंह,  
Secretary to the Government.

## विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 11, 2006

संख्या प.2 (33)विधि / 2 / 2006:—राजस्थान राजभाषा  
अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के  
अनुसरण में “दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ  
डिसक्वालीफिकेशन) (अमेण्डमेंट) एक्ट, 2006 (एक्ट नं. 14 ऑफ 2006)”  
का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

### राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम सं. 14)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 को प्राप्त हुई)

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम,  
1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य  
विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम  
राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) अधिनियम,  
2006 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

**2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 3 का संशोधन.**—राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता—निराकरण) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 7), जिसे इसमें इसके आगे इस अधिनियम में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदैव ही प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए या सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी कार्यक्रम की योजना बनाने, समन्वय या क्रियान्वयन करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;”।

**3. विधिमान्यकरण और अन्य मामलों के बारे में विशेष उपबंध.**—(1) किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश या राय के होने पर भी, मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) में वर्णित पद उनके धारकों को राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से इस प्रकार निरर्हित नहीं करेंगे या उन्हें कभी भी निरर्हित किया है, यह नहीं समझा जायेगा मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम समस्त तात्विक समय पर प्रवर्तन में था।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम का प्रारंभ होने की तारीख को किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लम्बित कोई भी याचिका या निर्देश, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा।

गुमान सिंह,  
शासन सचिव।